न्यायालय
सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2011/82 (पुराना वाद संख्या 2008/226)

1. प्रभाती देवी पत्नि लल्लूदास पुत्री गौतमदास जाति स्वामी दादूपंती, निवासी छवरका बांस तहसील आमेर हाल निवासी रूगली तहसील व जिला दौसा (राज0)

वादिनी

बनाम

1. देरामदास (देवरामदास) चेला गौतम दास जाति स्वामी दादू पंथी निवासी छवरका बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. संज्या देवी पत्नी जगरामदास जाति स्वामी दादू पंथी निवासी टोडाभीम छावनी तहसील टोडाभीम जिला करौली। **(मृतक दौराने दावा)**

   2/1 प्रकाशदास पुत्र जगरामदास स्वामी निवासी बाबा की छांवनी, हाई स्कूल के पास, टोडाभीम, जिला करौली।

   2/2 शिवदायल स्वामी पुत्री जगरामदास स्वामी निवासी बाबा की छांवनी, हाई स्कूल के पास, टोडाभीम, जिला करौली।

   2/3 सन्तोष देवी पत्नी जगदीश दास स्वामी निवासी वार्ड नंबर 32, जमात उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

   2/4 सुन्दरदास स्वामी पुत्र जगरामदास स्वामी निवासी बाबा की छावनी, हाई स्कूल के पास, टोडाभीम, जिला करौली।
3. [illegible]गी देवी बेवा गौतमदास स्वामी निवासी छवरका बांस तहसील आमेर जिला जयपुर। **(नाम हजफ)**
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
वादी : श्री सी0पी0 बलाई, श्री राहुल शर्मा
प्रतिवादी संख्या 1 : श्री अरविन्द पारिक

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–15.04.2025

वादीया की ओर से वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष पेश किया गया जो दिनांक 09.04.2008 को दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका वृतान्त विवरण निम्न प्रकार से है :– वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 एक ही परिवार के व आपस में भाई बहिन व माता है। वादिनी व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा खानदान निम्न प्रकार है –

गौतमदास

प्रभाती देवी (पुत्री) संज्या देवी (पुत्री) देरामदास (चेला) मांगी देवी (बेवा)

वादिनी व प्रतिवादी सं०–1 लगायत 3 के पिता/पति को खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ग्राम छबर का बास तहसील आमेर में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 35 (पैतीस) रकबा 0.70 (जीरो पट सत्तर), खसरा नम्बर 40 (चालीस) रकबा 0.34 (जीरो पाइंट चोतीस) है०, खसरा नम्बर 41 (इकतालिस) 0.45 (जीरो पाइंट पेतालिस) है0, खसरा नम्बर 42 (बयालिस) 0.92 (जीरो पाइंट बानय) हे० खसरा नम्मर 43 (तियालिस) रकबा 0.01 (जीरो पाइंट जीरो एक) है०, खसरा नम्बर 44 (चवालिस) रकबा 0.27 (जीरो पाइंट सत्ताईस) है० खसरा नम्बर 45 (पेतालिस) रकबा 0.03 (जीचे पाइंट जीरो तीन) है० खसरा नम्बर 46 (छियालिस) रकबा 0.36 (जीरो पाइंट छत्तीस) है० खसरा नम्बर 47 (सेतालिस) रकबा 0.63 (जीरो पाइंट तरेसठ) हे०. कुल किता 9 कुल रकबा 3.71 (तीन पाइंट इकहत्तर हैक्टयर) एयर है उक्त भूमि का पूर्व मे खातेदार काश्तकार वादिनी का पिता गोतमदास स्वामी था को ही उक्त भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार रहकर अपने जीवन में उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा था, तथा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात पर काश्त करते रहे जिसके एक मात्र वादिनी के पिता मालिक व स्वामी थे। गौतमदास की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जिसे वादपत्र के चरण न० 3 (तीन) मे अंकित किया गया है का अवैध तौर से प्रतिवादी सं०–1 (एक) ने गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अपने नाम खातेदारी में लगवा लिया जिसका कि उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। कानूनन गोतमदास की मृत्यु के बाद विवादित भूति वादीगण व प्रतिवादी सं०–1 लगायत ३ (एक लगायत तीन व खातेदारी में लगनी चाहिए थी। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान मद सं० 3 में ददित कृषि भूमि जो कि गौतमदास स्वामी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उनके देहवसान के पश्चात वादिनी की माता व दोनी बहिने व स्वयं देरामदास के नाम बराबर बराबर हिस्से मे दर्ज होनी थी। लेकिन प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

राजस्व रिकार्ड में वादिनी की बिना सहमति के सिर्फ देरामदास ने अपने नाम से उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अकित कराली जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त आराजीयात मे वादिनी का 1/4 (एक बटा चार) हिस्सा बनता है जिसको कि वादिनी कानूनी रूपसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कराकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिनी के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात को किसी को हस्तांतरण नहीं किया था, वादिनी के पिता के देहवसान के बाद वादिनी को नामांतरकरण खोलने से पहले किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी थी। चूंकि वादिनी अनपढ़ व गृहस्थ महिला है अपने ससुराल रुमली तहसील व जिला दौसा में निवास कर रही है। जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने बदनियती पूर्वक तरीक से सक्त आराजीयात का नामांतरकरण सिर्फ प्रतिवादी सं०– एक के नाम करवा लिया जो कि प्रतिवादीगण की मिलीभगत का परिणाम है। इस प्रकार उक्त नामांतरकरण की कार्यवाही बिना किसी अधिकार के फर्नी बनावटी व विधि विरुद्ध है। ना ही इसका प्रतिवादीगन सं० 1 लगायत 3 (एक लगायव तीन) को कोई अधिकार प्राप्त होता है. ना ही वादिनी के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। उक्त नामांतरकरण की कार्यवाही के बारे में जब वादिनी को पता चला तो वादिनी ने प्रतिवादीगण से संपर्क कर निवेदन किया कि वादिनी का हिस्सा उसे संभला दे जिसपर प्रतिवादीगण उग्र हो गये और कहने लगे कि वादिनी का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए प्रतिवादीग ने वादिनी का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही करवाया जो कि जानबूझकर के बदनियती पूर्वक प्रतिवादीगण द्वारा की गयी कार्यवाही है जिसको निरस्त किया जाकर वादिनी को उक्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कराने का अधिकार है. तथा प्रतिवादीगण को इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक है कि वे वादिनी के हिस्से की आराजीयात को ना दो किसी को किसी रूप मे बेचान करे, हस्तांतरण करे और ना ही वादिनी के हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे। प्रतिवादी सं0–1 (एक) कभी भी वादिनी को बहिन मानता भी नहीं है नाही कोई समारोह में वह आता जाता है ना कभी बेस आदि की उढाई पेराइ ही करता है। वादिनी के पति ने जब चतुर्थ मासा किया जिसमे प्रतिवादीगण को निमंत्रण भेजा परंतु ये लोग समारोह में नहीं आये व दिनांक 13–2–2008 (तेरह फरवरी दो हजार आठ) को वादी के पौत्र का जलवा पूजन व रामायण पाठ करवाये जिनसे भी प्रतिवादीगण नही आये और ना ही बेस आदि भेजे व वादिनी के पति ने ठाकुरजी महाराज का मन्दिर निर्माण करवाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाई व हवन करवाया जिसमे भी नहीं आये व वादिनी दिनांक 5–3–2005 (पांच मार्च दो हजार आठ) को पीहर गयी व नहीं आने की वजह पूछी वो प्रतिवादी सं०–१ (एक) ने कहा कि मेने जमीन अपने नाग करवाली अब मुझे तेरे से कोई वास्ता नहीं है, ना ही तेरे से रिश्ता ही रखूना तुझे करना हो जो कर लेना में तो अब विवादित जमीन को बेचान करके रहूंगा। विनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम हुआ। प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया और उसकी इस बेला व नाजायज कार्यवाही से वादिनी के अधिकारों को अपूरणीय क्षति की सूरत पैदा हो गयी इसलिए वादिनी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर भूमि की खातेदारी की घोषणा कराने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कराने की अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अन्त में प्रार्थना की गई है कि अतः वादिनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है, कि वादिनी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिकी पारित फरमावे कि:– डिग्री उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित फरमावे कि ग्राम छवर का बास तहसील आमेर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 35 (पेतीस), खसरा नम्बर 40 (चालीस), खसरा नम्बर 41 (इकतालिस), खसरा नम्बर 42 (बयालिस), खसरा नम्बर 43 (तियालिस), खसरा नम्बर 44 (चवालिस), खसरा नम्बर 45 (पतालिस) खसरा नम्बर 46 (छियालिस), खसरा नम्बर 47 (सेतालिस), कुल रकबा 3.71 (तीन पाइंट इकहत्तर) हैक्टयर एयर वाके ग्राम छबर का बास तहसील आमेर की खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादी सं०–1 के साथ साथ वादिनी व प्रतिवादी सं०–2 3 (दो व तीन) है तथा राजस्व रिकार्ड मे वादिनी का नाम भी बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जावे इस ही कदर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती इन्द्राज फरमायी जावे, तथा वादिनी के हिस्से की आराजीयात पर वादिनी को भौतिक रूपसे कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादी सं०–1 (एक) को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमावे कि वे उक्त भूमि के किसी भी भाग को रहन वेय हस्तांतरण नहीं करे, नाही किसी रहन, बेय, हस्तांतरण का कोई प्रलेख का पंजीयन करावे, वादिनी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल नही करे।

दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, जिसमे अंकित है कि – प्रतिवादी नंबर 1 उसके पिता के जीवन काल से ही काश्त करताचला आ रहा है वादिनी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही उक्त खसरा नंबरान से वादिनी का अब कोई संबंध व सरोकार है। स्वर्गीय गौतमदास जी के पश्चात प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में फोती नामान्तरकरण वादिनी एवम् प्रतिवादी नंबर 2 लगायत 3 की उपस्थिति में एवम् उनकी स्वैच्छिक सहमति से ही खुला है उक्त सम्पत्ति पर प्रतिवाद नंबर 1 की काबिज काश्त एवम् खातेदार चला आ रहा है वादिनी का वादग्रस्त सम्पत्ति में कब्जा काश्त नहीं है यह वादिनी ने अपने दावे के अनुतोष के मद नंबर 1 में स्वीकार किया है। दिनांक 24.06.2006 को वादिनी ने उक्त सम्पति का हक त्याग प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में कर दिया है, वादिनी प्रतिवादी नंबर 1 से उक्त सम्पत्ति में से किसी भी प्रकार का कोई हक या लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है वादिनी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिनी का कब्जा काश्त नहीं वादिनी के मन में जमीनों के भाव बढ जाने के कारण बदनियती आ गई है इस कारण झूठे तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। वादिनी अपने ससुराल रूगली तहसील व जिला दौसा में निवास कर रही है एवम् उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में खोले नामान्तरकरण के समय वादिनी स्वयं मौजूद थी एवम् उसी के समक्ष उक्त नामान्तरकरण उसकी सहमति से खोला गया है वादिनी का उक्त आराजी से पूर्व में ही कब्जा काश्त एवम् अधिकार नहीं है वादिनी ने उक्त आराजी का हक त्याग भी प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के कर दिया एवम् उक्त हक त्याग पत्र में भी स्वीकार किया है कि उक्त सम्पत्ति पर शुरू से ही प्रतिवादी नंबर 1 का कब्जा काश्त एवम् अधिकार है जिस पर वादिनी को

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादी नंबर 2 व 3 ने भी उक्त आराजीयात हक त्याग प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में कर रखा है वादिनी का उक्त आराजी पर जब कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर विपरित प्रभाव पड़ने का प्रश्न ह उत्पन्न नहीं होता है प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण सही एवम् सत्य है कानूनन कोई गलती नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी के समस्त शादी विवाह उठाई पेराई, समारोह में आता जाता है एवम् अपनी हैसियत अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे से अच्छा लेनदेन करता है लेकिन जमीनो के भाव बढ जाने से एवम् अपने पति के बहकावे में आकर झूंठे तथ्यों से अधिकारहीन दावा प्रस्तुत कर दिया है वादिनी ने इस मद में जो दिनांक अंकित की है वह केवल झूठे दावे को प्रस्तुत करने में मुख्य कानूनी बिन्दू वाद कारण बनाने के लिए की है वादिनी द्वारा वर्णित दिनांक 05.03.2008 की घटना पूर्णतः असत्य है जब वादिनी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नामान्तरकरण तस्दीक होने के समय हक त्याग करने के समय ही थी तो फिर दिनांक 05.03. 2008 की घटना होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जवाब दावे के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण की जानकारी वादिनी को पूर्व से ही थी एवम् वादिनी ने पूर्व में भी उक्त नामान्तरकरण को स्वेच्छा से सहमति प्रदान की थी स्वम् तत्पश्चात वादिनी ने प्रतिवादी नम्बर 1 के पदा में वरुण से एक त्याग पत्र भी निष्पादित कर दिया था एवम् उक्त वाराजी के अपने समस्त एक प्रतिवादी नम्बर 1 को दे दिये थे उसके बावजूद जमीनों के भाव वढ जाने के कारण बिना किसी वाद कारण के फूठे तथ्यों पर पूर्व रचित साजिश के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ मुकदमा कर दिया इससे पूर्व वादिनी के पति ने एक धमकी भरा नोटिस जरिये अभिभाषक प्रतिवादी नम्बर 1 को भिजवा दिया था एवम् एक लाख रूपये की मांग की एवम् नहीं देने पर फूठा मुकदमा कर देने बाबत कथन किया। वादिनी ने स्वयं द्वारा उक्त सम्मति का एक त्याग पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में किये जाने के कथन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। वादिनी क्लीन हैण्ड से श्रीमान के समक्ष नहीं आई हे व दावा वाद कारण के बिना प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि – वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सजरा खानदान सही होने से स्वीकार है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है वादीया का यह कहना गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अपने नाम खातेदारी लगवा लिया यह कहना [illegible]त है तथा स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की मॉ व बहिन है इन्होंने अपने हिस्से का हक त्याग अपने भाई व पुत्र के हक में हक त्याग कर दिया था और शुरू से ही उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर उसका ही कब्जा रहा है हमारा कभी उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं रहा है। अतः वादिनी द्वारा अन्त में चाहा गया अनुतोष गलत होने से अस्वीकार है। वादिनी मिन प्रतिवादीगण से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी न हीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी का वाद खारिज किये जाने की कृपा करें।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

वाद में दिनांक 26.08.2009 को तनकीयात कायम की गई जो निम्न है :

1. आया विवादित आराजीयात वादिनी के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति की खातेदारी की भूमि हे जिसमें वादिया 1/4 हिस्से की हकदार है तथा 1/4 हिस्से की, खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारी है। जिम्मे वादी

2. आया विवादित आराजीयात में वादिनी ने अपना हक त्याग कर दिया है अतः खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं है। जिम्मे प्रतिवादी

3. दादरसी/अनुतोष

विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु होने पर वाद से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजफ किया गया।

वाद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विविध आवेदन अन्तर्गत 06 नियम 17 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया गया कि – एक्त वाद के रिकॉर्ड से संबंधित कुछ तथ्य जवाब दावे में दर्ज करने से रह गये है, जो प्रतिवादी अब जवाब दावे में जोड़ना चाहता है, जो निम्न प्रकार से है " यह है कि भूमि अधीन दावा तत्कालीन जागीरदार पुरोहितो की थी बतौर माफी दादू पंथी होने के कारण दादू पंथी संत श्री मलूक दास जी को मिली तथा जिनका चेला घोरमदास उर्फ गौतम दास था तथा मलूकदास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके चेले गद्दीनशीन के रूप में घोरमदास उर्फ गौतमदास जी को मिली थी। इसी प्रकार घोरमदास उर्फ गौतमदास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके गद्दीनशील हुये चेला देरामदास जी को मिली है। यह दादू पंथ की प्रथा रही है कि, दादू पंथ की मृत्यु पर सम्पत्ति उनके चले को ही जाती है। यही राजस्व रिकॉर्ड से भी सिद्व तथ्य है। इस भूमि में एक दादूपंथी संत की मृत्यु पर उसके सम्पत्ति अधिकार उसकी मृत्यु पूर्व इच्छानुसार उसके गद्दीनशील होने वाले चेले को ही जाते है। "

इसी प्रकार जवाब दावे की मद संख्या 5 के अन्त में आगे दर्ज किया जावे –

" दादू पंथ की सम्पत्ति केवल दादूपंथियों को ही जाती है, जिसका निर्णय पंथ ही करता है, अन्य नहीं। इसलिये वादिनी का या अन्य किसी का इसमें कोई अधिकार खातेदार सन्त की इच्छा के विरूद्व नहीं मिल सकता। अर्थात पंथ की सम्पत्ति को धारण करने का अधिकार पंथी को ही है इस वाद में वादिया ने दादू पंथ को पक्षकार भी नहीं बनाया है, जिससे भी वादिनी का वाद चलने योग्य नहीं है।" जोड़ा जावें।

उपरोक्त संशोधन जवाब दावे में इस उद्देश्य से किये जा रहे है कि एक सम्पत्ति से संबंधित समस्त प्लीडिंग्स एक ही वाद में तैय होने चाहिये। इसके लिये अलग अलग दावे लाने से वाद बाहुल्यता बढ़ती है तथा एक वाद से संबंधित समस्त तथ्य भी एक साथ निर्णित होना कानूनन आवश्यक है। अभी हाल ही में प्रार्थी, पंथ की सभा में बैठा सत्संग कर रहा था, तभी समय मिलने पर पंथ की व्यवस्थाओं का जिक्र स्वामी/प्राचार्य जी ने किया था और जिस पर अन्य सन्तों से व प्राचार्य से पूछने पर यह तथ्य प्रार्थी को स्पष्ट हुआ।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अतः आवेदन सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त संशोधन जवाब दावे में जोड़ने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विचाराधीन वाद में प्रार्थी/वादीया की ओर से श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समख मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर मुन्तकिल प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 131/2011 दर्ज कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की बिन्दूवार रिपोर्ट चाही गई। उभयपक्ष की बहस उपरांत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 131/2011 में निर्णय दिनांक 26.09.2011 के द्वारा उक्त पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से स्थानान्तरित कर न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय में सुनवाई हेतु भेजी गई।

उक्त पत्रावली न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की जाकर सुनवाई हेतु नियत की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी/वादीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया गया जिसमें अंकित है कि – विवादित भूमि कभी भी दादूपंथ की नहीं थी, बल्कि गोतमदास जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र होने के कारण जरिय विरासती नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई, न कि चेला होने के कारण। प्रतिवादी जवाब दावे में चाहे गये संशोधन से वाद की प्रकृति में पूर्णतया बदलाव होने के कारण प्रतिवादी को संशोधन की अनुमति कानूनन प्रदान नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दावा में तनकीयात कायम कर साक्ष्य वादी समाप्त हो चुकी है तथा प्रार्थी प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके है किन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत न कर दावा को देरीना करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनन चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा चाहे गये संशोधन की अनुमति प्रदान किये जाने से दावा की प्रकृति में पूर्णतया बदलाव हो जाता है। इस कारण प्रार्थी को संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी मय विशेष खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पर सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2011 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब दावे में संशोधन की अनुमति प्रदान की गई।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को जवाब दावे में जोड़ते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

संशोधित जवाब दावे के उपरांत वाद में संशोधित तनकीयात दिनांक 06.11.2012 को कायम की गई जो निम्नानुसार है –

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

1. आया वादी दादू पंथ की पृथा अनुसार स्वर्गीय गौतमदास जी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण वादिनी की सहमति से खुला हे तत्पश्चात दिनांक 24.06.2006 को वादिनी ने उक्त सम्पत्ति का हक त्याग प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया। –जिम्मे प्रतिवादी

2. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। –जिम्मे प्रतिवादी

3. आया वादी नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 20.05.2008 विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है। –जिम्मे वादी

4. आया वादी विवादग्रस्त आराजी दादूपंथी नही है। –जिम्मे वादी

5. दादरसी

न्यायालय द्वारा पारित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 1018/2012 में निर्णय दिनांक 25.06.2015 द्वारा निगरानी को खारिज कर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2011 को यथावत रखा गया।

वाद में वादिनी की ओर से जवाब–उल–जवाब व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर जवाब–उल–जवाब को रिकॉर्ड पर लिया गया।

दिनांक 26.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तनकीयात में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत् संशोधित तनकीयात पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 02.03.2016 को प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र बाबत् संशोधत किये जाने तनकीयात खारिज किया गया।

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2016 के विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की निगरानी संख्या 6254/2016 में दिनांक 03.09.2021 को निगरानी स्वीकार कर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयत दिनांक 02.03.2016 को अपास्त कर संशोधित तनकीयात कायम करने के आदेश प्रदान किये।

वाद में दिनांक 14.05.2024 को संशोधित तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है :–

1. आया वादी नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 20.06.2008 विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है? – जिम्मे वादीया

2. आया वादी विवादग्रस्त आराजी दादूपंथी नहीं है? – जिम्मे वादीया

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

3. आया वादग्रस्त आराजीयात तत्कालीन जागीरदार पुरोहितों की थी, बतौर माफी दादू पंथी होने के कारण दादू पंथी संत श्री मलूक दास जी को मिली तथा जिनका चेला घोरमदास उर्फ गौतम दास था तथा मलूक दास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके चैले गद्दीनशीन के रूप में घोरमदास उर्फ गौतमदास जी को मिली और इसी प्रकार घोरमदास उर्फ गौतम दास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके गद्दीनशील हुये चेला देरामदास जी को वादिनी की सहमति से मिली। – जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है? – जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

5. अन्य अनुतोष!

विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु होने पर वादीया की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 एवम् 9 नियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया गया। उभयपक्ष को सुना जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया।

वाद में वादीया की ओर से निम्न साक्ष्य पेश किये गये :

क्र.सं.	साक्षी का नाम	पिता का नाम	पता	अन्य विवरण
1.	प्रभाती देवी	गौतमदास	छवर का वास, आमेर हाल निवासी रूगली तहसील व जिला दौसा	दिनांक 28.07.2010 को पेश। दिनांक 16.11.2010 को जिरह प्रतिवादी द्वारा की गई।
2.	रामजीलाल	किशनलाल	निवासी हरीपुरा तहसील व जिला दौसा	दिनांक 28.07.2010 को पेश। दिनांक 16.11.2010 को जिरह प्रतिवादी द्वारा की गई।
3.	मोहनदास	प्रभूदास	रामनगर, सोडाला, जयपुर।	दिनांक 16.11.2010 को पेश। दिनांक 19.01.2011 को जिरह।

प्रतिवादी की ओर से निम्न साक्ष्य पेश किये गये जो निम्न है :

क्र.सं.	साक्षी का नाम	पिता का नाम	पता	अन्य विवरण
1.	शंकर राम स्वामी	पुत्र/चेला देरामदास	ग्राम छवरका बास, चेतावाली, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर	दिनांक 02.09.2024 को पेश। दिनांक 22.10.24 को जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई।
2.	प्रकाश दास स्वामी	जगराम दास	टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला	दिनांक 02.09.2024 को पेश। दिनांक 22.10.24

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

		स्वामी	गंगापुरसिटी, राजस्थान	को जिरह वकील वादी द्वारा की गई।
3.	भीवाराम यादव	घासीराम यादव	छवरका बास, चेतावाला, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर	दिनांक 02.09.2024 को पेश। दिनांक 22.10. 2024 को वकील वादी द्वारा जिरह की गई।
4.	शिवजी दास स्वामी	चंदा दास	जाटों का मौहल्ला, बाज डोली, जयपुर राजस्थान	दिनांक 02.12.2024 को पेश।
5.	प्रकाश स्वामी	लड्डू दास स्वामी	जाटों का मौहल्ला, बाज डोली, जयपुर राजस्थान	दिनांक 02.12.2024 को पेश
6.	जयराम दास स्वामी	रामेश्वार दास	स्वामी की ढाणी, चकरोदा, खनीपुरा जयपुर	दिनांक 02.12.2024 को पेश।
7.	राजेन्द्र कुमार	भवान सहाय	सामोता की ढाणी, नांगलपुरोहितान जयपुर	दिनांक 02.12.2024 को पेश
8.	राम प्रकाश	काना	मकान नंबर 92 ढाणी भतिजदी की बिडोली, वीदोली, टोंक	दिनांक 02.12.2024 को पेश
9	रघुनाथ सैनी	किशना राम सैनी	मकान नंबर 92 गणेश विहार 5वॉ, मोठू का बास, नांगलपुरोहितान जयपुर	दिनांक 02.12.2024 को पेश। दिनांक 24.01. 2025 को जिरह वकील वादी द्वारा की गई।
10	कन्हैया लाल	गंगाराम सैनी	मोठू का बास, चेतावाला, जयपुर	दिनांक 02.12.2024 को पेश। दिनांक 10.03. 2025 को जिरह वकील वादी द्वारा की गई।
11.	गणेश सैनी	सेडू राम सैनी	नाडी की ढाणी, प्रेम नगर, भूरथल, जैतपुरा, जयपुर	दिनांक 02.12.2024 को पेश। दिनांक 24.01. 2025 को जिरह की गई।

वादीया द्वारा अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजा प्रस्तुत किये :—

प्रदर्श —1	जमाबंदी संवत् 2012 से 2016
प्रदर्श—2	मिलान क्षेत्रफल
प्रदर्श—4	हक त्याग पत्र दिनांक 06.10.2009
	नकल नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 30.01.1976
प्रदर्श—3	नकल नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 26.03.1976
प्रदर्श—6	नकल जमाबंदी संवत् 2064 से संवत् 2067 तक 2060 से 2063 तक

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

	नकल मिलान क्षेत्रफल
	नकल जमाबंदी संवत् 2012 से संवत् 2016 तक
प्रदर्श–5	जमाबंदी संवत् 2060 से 2064

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निम्न दस्तावेजा पेश किये गये :–

प्रदर्श–ए1	फोटो मय रसीद चरण, पद, घोटमदास जो कि भूमि विवादग्रस्त पर चबूतरे पर स्थापित है।
प्रदर्श–ए2	श्री राज फोटो स्टूडियो का इनवाईस
प्रदर्श–ए3	विधान एवं नियम वर्ष 1993 पंचायत पांचो अखाडो के समस्त पंच भण्डारी जमात उदयपुर का संशोधित

प्रकरण में अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्षीय अधिवक्ताओं ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाबदावा में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1.आया वादी नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 20.06.2008 विधि विरूद्व तस्दीक किया गया है? – जिम्मे वादीया

इस तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादिया का था। उक्त नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नंबर 44 रकबा 0.27 है0 का श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी रामकिशोर शर्मा को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप खोला गया है। वादिया द्वारा उक्त नामान्तकरण का उल्लेख वादग्रस्त आराजीयात के दादूपंथी सम्पत्ति न होने को सिद्व करने हेतु किया गया है। किन्तु कहीं भी इस हेतु कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया है कि नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 20.05.2008 किस प्रकार विधि विरूद्व तस्दीक किया गया है? उक्त तनकी को वादिया सिद्व करने में असफल रही है। तनकी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं विरूद्व वादिया निर्णित की जाती है।

2. आया वादी विवादग्रस्त आराजी दादूपंथी नहीं है? – जिम्मे वादीया

इस तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी वादिया का था। इस हेतु अधिवक्ता वादिया ने अपने वादपत्र एवम् बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ भूमि का बेचान किया है जिससे सिद्व होता है कि वादग्रस्त आराजीयात दादूपंथी सम्पत्ति न होकर पैतृक सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता वादिया का कथन है कि यदि वादग्रस्त आराजीयात दादूपंथी होती तो प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से अपने पक्ष में हकत्याग क्यों करवाता?

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

यद्यपि यह तथ्य सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ भूमि का बेचान किया है परन्तु वादिया ने कही भी यह सिद्व नहीं किया है कि यहं विक्रय निजी प्रयोजन के लिए किया गया है या फिर पंथ के प्रयोजन के लिए। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किए गए हकत्याग से भी यह सिद्व नहीं होता कि वादग्रस्त आराजी दादूपंथी नहीं है। अतः तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादिया निर्णित की जाती है।

3. आया वादग्रस्त आराजीयात तत्कालीन जागीरदार पुरोहितों की थी, बतौर माफी दादू पंथी होने के कारण दादू पंथी संत श्री मलूक दास जी को मिली तथा जिनका चेला घोरमदास उर्फ गौतम दास था तथा मलूक दास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके चैले गद्दीनशीन के रूप में घोरमदास उर्फ गौतमदास जी को मिली और इसी प्रकार घोरमदास उर्फ गौतम दास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके गद्दीनशील हुये चेला देरामदास जी को वादिनी की सहमति से मिली। – जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

इस तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 1 पर था। इस तनकी को सिद्व करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने निम्न दस्तावेज पेश किए :–

1. फोटो मय रशीद, चरण पद घोटमदास जो कि भूमि विवादग्रस्त पर चबूतरे पर स्थापित है।

2. श्री दादूपंथ पंचायत अखाडा विधान एवं नियम जमात उदयपुर शोखावटी वर्ष 1993

इसके अतिरिक्त इस तनकी को सिद्व करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने निम्न साक्ष्य भी प्रस्तुत किए :–

1. शंकर राम स्वामी पुत्र/चेला देरामदास
2. प्रकाश दास स्वामी पुत्र जगराम दास
3. भींवाराम यादव पुत्र स्व0 घासीराम यादव
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र भगवान सहाय
5. रघुनाथ सैनी पुत्र किशना राम सैनीश
6. कन्हैया लाल पुत्र गंगा राम सैनी
7. गणेश सैनी पुत्र सेडूराम सैनी

इस सभी साक्ष्यो ने एक स्वर में यह कथन किया है कि स्व0 घोटमदास जी दादूपंथी संत थे जो आजीवन दादूपंथी संत ही रहे। स्व0 घोटमदास चेला मलूकदास थे स्व0 मलूकदास जी भी दादूपंथी ही थे। स्व0 घोटमदास जी के चरणपद उक्त भूमि खसरा नंबर 40 ग्राम छवर का बास, तहसील आमेर में स्थापित हैं जिनकी फोटो भी पेश हुई है। वादग्रस्त आराजीयात स्व0 घोटमदास

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

जी की उनका चेला व शिष्य होने के कारण दादू सम्प्रदाय के नियमों के अनुसार विरासत के रूप में जो कि गुरू शिष्य प्रथा के अनुसार आई है नाकि पुत्र के रूप में। दादू सम्प्रदाय के स्व0 घोटमदास जी जिस अखाडे के अनुयायी रहे हैं उसके नियमों के अनुसार ही घोटमदास जी कि विरासत बतौर शिष्य देरामदास को प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेज यथा मलूकदास जी की मृत्यु के उपरांत स्व0 घोटमदास के नाम खुले नामान्तरकरण में भी उन्हे मलूकदास जी का चेला अंकित किया गया है एवं इसी क्षमता में घोटमदास के नाम नामान्तरकरण खोला गया है।

इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–3 जो कि घोटमदास जी की मृत्यु होने पर देरामदास जी (प्रति. सं. 1) के नाम जो नामान्तरकरण खोला गया है उसमें भी देरामदास चेला घोटमदास जाति दादूपंथी ही अंकित है एवं इसी आधार पर देरामदास के नाम नामान्तकरण खोला गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 में भी घोटमदास चेला मलूकदास कौम स्वामी दादूपंथी ही अंकित है। प्रदर्श–5 में भी देरामदास चेला गौतमदास कौम स्वामी दादूपंथी ही अंकित है।

प्रदर्श–6 में भी देरामदास चेला गौतमदास कौम स्वामी दादूपांथी ही अंकित है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व दस्तावेज, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत फोटो मय रसीद चरण पद घोटमदास एवं गवाहों के बयान से प्रतिवादी संख्या 1 यह स्पष्ट रूप से सिद्व करने में सफल रहे है कि वादग्रस्त आराजीयात तत्कालीन जागीरदार पुरोहितों की थी, बतौर माफी दादू पंथी होने के कारण दादू पंथी संत श्री मलूक दास जी को मिली तथा जिनका चेला घोरमदास उर्फ गौतम दास था तथा मलूक दास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके चैले गद्दीनशीन के रूप में घोरमदास उर्फ गौतमदास जी को मिली और इसी प्रकार घोरमदास उर्फ गौतम दास जी की मृत्यु पर यह भूमि उनके गद्दीनशील हुये चेला देरामदास जी को वादिनी की सहमति से मिली।

इस प्रकार तनकी संख्या 3 को सिद्व करने में प्रतिवादी संख्या 1 पूर्ण रूप से सफल रहें है। अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में व विरूद्व वादिया निर्णीत की जाती है।

4 आया प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है? — जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। वादिया द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि वह अपने ससुराल रूगली तहसील व जि दौसा में निवास कर रही है एवं वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इस स्वीकारोक्ति एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व दस्तावेजों कि आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 यह सिद्व करने में

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सफल रहा है कि वह वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। अतः तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में व विरूद्व वादिया निर्णीत की जाती है।

हस्तगत वाद में किसी भी निर्णय तक पहुँचने से पहले उपर्युक्त तनकीयात के अतिरिक्त वाद में कुछ अन्य आवश्यक तथ्यों पर विचार किया जाना भी आवश्यक है :–

गौतमदास की मृत्यु के पश्चात् उसके चेले/पुत्र देरामदास के नाम नामांतरकरण संख्या 30 दिनांक 11.01.1976 को खोला गया। जिसके संबंध में वादिया ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि उक्त नामान्तकरण खोलने से पहले वादिया को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी। चूंकि वादिया अनपढ़ व गृहस्थ महिला है तथा अपने ससुराल रूगली तहसील व जिला दौसा में निवास कर रही है, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने बदनीयतीपूर्वक तरीके से वादग्रस्त आराजीयात का नामांतरकरण सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा लिया जो कि प्रतिवादीगण की मिलीभगत का परिणाम है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही बिना किसी अधिकार के फर्जी व बनावटी व विधि विरूद्व है। जबकि जिरह में स्वयं वादिनी ने स्वीकार किया है कि "जब जमीन दर्ज मेरे भाई के नाम हुई तब मैं, मेरी बहन, माता मौजूद थी। उस समय मैंने कोई आपत्ति पेश नही की थी।"

इस प्रकार वादिनी की स्वयं की स्वीकारोक्ति से वाद पत्र में वादिनी का यह कहना स्वतः ही असत्य सिद्व हो जाता है कि उसके भाई के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण की उसको कोई जानकारी नहीं थी तथा यह प्रतिवादीगण की मिलीभगत का परिणाम होने से यह नामान्तरकरण फर्जी व बनावटी व विधि विरूद्व है।

इसके अतिरिक्त वादिनी की माँ व बहन जो कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है ने भी उक्त नामान्तरकरण को जायज बताया है। साथ ही अन्य महत्वूपर्ण तथ्य यह है कि वादिनी ने उक्त नामान्तरकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय या अन्य किसी राजकीय संस्था के समक्ष चुनौती नहीं दी है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादिया की क्रमशः बहन व माता हैं ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करी अपने नाम खातेदारी लगवा लेने को गलत बताया है। साथ ही अपने जवाबदावे में प्रतिवादिनी संख्या 2 एवं 3 ने अपने हिस्से का हक त्याग अपने भाई व पुत्र के हक में हक त्याग करने एवं वादग्रस्त आराजीयात पर शुरू से ही प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा होने का स्पष्ट अंकन किया है।

वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के बिन्दु संख्या 11 में वादकारण की उत्पत्ति की दिनांक का अंकन नहीं किया गया है।

वादिया द्वारा स्वयं भी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपने हक हिस्से का हक त्याग करने संबंधी इकरारनामे को सम्पादित किया गया था। उक्त इकरारनामा दिनांक 24.06.2006 को सम्पादित किया गया था जिसकी मूल प्रति प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि पत्रावली पर संलग्न है। इस

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

इकरारनामें पर लगी फोटो को वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/गवाह ने जिरह में लल्लू व प्रभाती की होना स्वीकार किया। यद्यपि यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह इकरारनामा एक पंजीकृत दस्तावेज न होकर नोटरी द्वारा अटस्टेड है।

आदेश

तनकी संख्या 1 से 4 के निर्णय अनुसार वादिया अपने वाद को सिद्व करने में पूर्ण रूप से असफल रही है। फलस्वरूप वादिया का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **गौरव बांकावत** (आर.ए.एस.)

प्रभाती देवी **बनाम** देरामदास वगै.

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2011/82 (पुराना वाद संख्या 2008/226)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तनकी संख्या 1 से 4 के निर्णय अनुसार वादिया अपने वाद को सिद्व करने में पूर्ण रूप से असफल रही है। फलस्वरूप वादिया का वाद खारिज किया जाता है।

निज ....✓.......... मुवलिग ....✓.......... बाबत् ....✓.......... फीसदी सालाना आज .. खर्चा इस मुकद्में में मय सूद वशरह ....✓.......... का अदा करें। की तारीख से तारीख अदायगी तक ....✓..........

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.04.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....[signature]..........

ओहदा **सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय**

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस-कमिश्नर			इजराय बाबत		
इजराय बाबत्			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

[signature]
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner